सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

1 CHAITRA 1947 (S)

No. 142

RANCHI SATURDAY 22ND MARCH, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

22nd March, 2025

Notification No.- 08/2024 – State Tax(Rate)

S.O. No. 4, Dated 22nd March, 2025--In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, number 12/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, -

(A) after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25A	Heading 9969 or Heading 9986	**Supply of services by way of providing metering equipment on rent, testing for meters/ transformers/capacitors etc., releasing electricity connection, shifting of meters/service lines, issuing duplicate bills etc., which are incidental or ancillary to the supply of transmission and distribution of electricity provided by electricity transmission and distribution utilities to their consumers.**	Nil	Nil"

(B) after serial number 44 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"44A	Heading 9981	Research and development services against consideration received in the form of grants supplied by - (a) a Government Entity; or (b) a research association, university, college or other institution, notified under clauses (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961	Nil	Provided that the research association, university, college or other institution, notified under clauses (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 is so notified at the time of supply of the research and development service"

(C) after serial number 66 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"66A	Heading 9992	Services of affiliation provided by a Central or State Educational Board or Council or any other similar body, by	Nil	Nil"

		whatever name called, to a school established, owned or controlled by the Central Government, State Government, Union Territory, local authority, Governmental authority or Government entity.		

(D) for serial number 69 and the entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"69	Heading 9992 or Heading 9983 or Heading 9991	Any services provided by - (a) the National Skill Development Corporation set up by the Government of India; (b) the National Council for Vocational Education and Training; (c) an Awarding Body recognized by the National Council for Vocational Education and Training; (d) an Assessment Agency recognized by the National Council for Vocational Education and Training; (e) a Training Body accredited with an Awarding Body that is recognized by the National Council for Vocational Education and Training, in relation to- (i) the National Skill Development Programme or any other scheme implemented by the National Skill Development Corporation; or (ii) a vocational skill development course under the National Skill Certification and Monetary	Nil	Nil"

			Reward Scheme; or		
		(iii)	any National Skill Qualification Framework aligned qualification or skill in respect of which the National Council for Vocational Education and Training has approved a qualification package.		

(E) against serial number 71, in column (3), for the words "National Council for Vocational Training", the words "National Council for Vocational Education and Training" shall be substituted.

(ii) in paragraph 2 of the said notification,

(A) in item (h), -

(a) in sub-item (i), for the words "National Council for Vocational Training", the words "National Council for Vocational Education and Training" shall be substituted.
(b) in sub-item (ii), for the words "National Council for Vocational Training", the words "National Council for Vocational Education and Training" shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 10th day of October, 2024.

[File. No. Va.Kar/GST/01/2024]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar
Commissioner,
Commercial taxes Department

Note: The principal notification number 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 42, dated the 29th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 04/2024- State Tax (Rate), dated 14th August, 2024, published in the Gazette of Jharkhand *vide* S.O. No. 11, dated the 14th August, 2024.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

22 मार्च, 2025

अधिसूचना सं०. 08/2024- राज्य कर(दर)

एस. ओ. सं. 4, दिनांक 22 मार्च, 2025 --झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 25 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, यथाः-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25क	शीर्षक 9969 या शीर्षक 9986	मीटरिंग उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने, मीटरों/ट्रांसफार्मरों/कैपेसिटरों आदि का परीक्षण करने, बिजली कनेक्शन जारी करने, मीटरों/सेवा लाइनों को स्थानांतरित करने, डुप्लिकेट बिल जारी करने आदि की ऐसी सेवाओं की आपूर्ति, जो बिजली पारेषण और वितरण उपयोगिताओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली पारेषण और वितरण की आपूर्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हैं।	शून्य	शून्य”

(ख) क्रम संख्या 44 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“44क	शीर्षक 9981	अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के विरुद्ध अनुसंधान एवं विकास सेवाओं की निम्नलिखित द्वारा आपूर्ति- सरकारी निकाय कोई (क); या आयकर अधिनियम (ख), 1961 धारा-की उप 35 की धारा () के खंड (1ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान।	शून्य	बशर्ते कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान, अनुसंधान और विकास सेवा की आपूर्ति के समय इस प्रकार अधिसूचित है।”

(ग) क्रम संख्या 66 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“66क	शीर्षक 9992	केन्द्रीय या राज्य शैक्षणिक बोर्ड या परिषद या किसी अन्य समान निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, के द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित विद्यालय को प्रदान की गई संबद्धता सेवाएं।	शून्य	शून्य”

(घ) क्रम संख्या 69 के कॉलम (2), (3), (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"69	शीर्षक 9992 या शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991	निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई कोई भी सेवाएं– ारत सरकार द्वारा स्थापित (क) राष्ट्रीय कौशलविकास निगम; राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और (ख) प्रशिक्षण परिषद; ाष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और (ग) प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय; राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और (घ) प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आकलन एजेंसी; प्रशिक्षण (ङ) निकाय, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय के साथ प्रत्यातित हो, निम्नलिखित के संबंध में- (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम या कोई अन्य स्कीम; या (ii) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार स्कीम के अधीन कोई व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या (iii) राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे से संबद्ध कोई भी अर्हता या कौशल, जिसके संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद ने अर्हता पैकेज को अनुमोदित किया हो	शून्य	शून्य"

(ङ) क्रम संख्या 71 के समक्ष, कॉलम (3) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में,

(क) मद (ज) में,

) मद-उप (क)i) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

) मद-उप (ख)ii) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2024]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार

आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग।

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. सं. 42, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2024- राज्य कर (दर), दिनांक 14 अगस्त, 2024, जिसे एस. ओ. सं. 11, दिनांक 14 अगस्त, 2024 के तहत झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.

Jharkhand Gazette (Extraordinary) 142-- 50.